छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 632/2007

1. श्री एल0एन0 शर्मा, — *अपीलार्थी*
बी–8, गुलमोहर वाटिका, न्यू पुरैना,
महावीर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास विभाग, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 28 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री एल0एन0 शर्मा द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, रायपुर के समक्ष दिनांक 02.04.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 10.04.2009 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.06.2009 को निर्णय देकर अपील अस्वीकार की गई, जिससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 03.07.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रथम अपील में सुनवाई के समय उन्होंने रिकार्ड उपलब्ध नहीं होना बताया, जबकि अपीलार्थी की अनुपस्थिति में दिनांक 26.10.2007 को यह निर्देश दिये गये थे कि पुराना रिकार्ड पुनः ढूंढ़ने का प्रयास किया जावे अन्यथा गुमाने के लिए त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जावे या विनिष्टीकरण का रिकार्ड बताया जावे। इसके बाद दिनांक 13.03.2009 को अपीलार्थी ने उक्त आदेश का पालन नहीं होने के संबंध में एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 17.07.2009, 10.08.2009 एवं 07.10.2009 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई के बाद यह निर्देश दिये गये थे कि हाई पावर कमेटी के समक्ष दोबारा अपीलार्थी का प्रकरण रखकर विचार किया जावे, जिसके संबंध में सहायक आयुक्त ने बताया कि हाई पावर कमेटी द्वारा पुनः आदेश पारित करके अपीलार्थी को इसकी जानकारी दी जा चुकी है और पदक्रम सूची के बारे में आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश को पुनः लिखा गया है तथा वहॉ से जानकारी प्राप्त होते ही उन्हें उपलब्ध करायी जावेगी। अपीलार्थी ने पुनः अंतिम सुनवाई दिनांक को यह बताया कि त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने और विनिष्टीकरण के बारे में आयोग के आदेशानुसार अभी–तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में भी एक प्रकरण चलना बताया गया। वर्तमान प्रकरण में चूंकि आयोग के निर्देशानुसार ही कार्यवाही की गई है और सहायक आयुक्त ने हाई पावर कमेटी के समक्ष प्रकरण रखकर आगे कार्यवाही की है तथा ग्रेडेशन के बारे में भी कार्यवाही की है। अतः किसी प्रकार की शास्ति लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है तथा प्रस्तुत उत्तर को संतोषप्रद मान्य कर उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है। प्रकरण में सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को एक बार सुनवाई का मौंका दें और उनका यदि कोई मामला शासन स्तर पर निपटाये जाने योग्य हो तो उस पर नियमानुसार कार्यवाही करें। अपीलार्थी द्वारा उठाये गये जो मामले न्यायालय में लंबित है, उनका निराकरण संबंधित न्यायालय से ही हो सकेगा। इस प्रकरण में चूंकि विनिष्टीकरण का रिकार्ड और त्रुटिकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी आदेश का पालन नहीं किया गया है, अतः सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास को इस संबंध में एक सप्ताह में पालन करने के लिए कड़े निर्देश दिये जाते हैं। प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से अपीलार्थी को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 500/– रूपये प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com